



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/ 2043
 प्रति,

रायपुर, दिनांक 27/08/2025

अपर मुख्य सचिव
 छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
 मंत्रालय, महानदी भवन
 नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- Diversion of 2.58 ha (For approach road area 0.95 Ha and power line area 1.62 Ha) Forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 proposed for approach road from mines to Public Road and laying the power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. Village Borjhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East-Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh-reg.

- संदर्भ:-**
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/15/ 2024-IRO-Raipur/ 08 दिनांक 11.04.2025
 2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5-07/ 2020/ 10-2 दिनांक 21.04.2025
 3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त का पत्र क्रमांक/ त.अ./ न. क्र. 78/ 2025/ 2420 दिनांक 25.07.2025

-000-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा प्रकरण में 05 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के अनुक्रम में संदर्भित पत्र -3 के माध्यम से 05 बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर के माध्यम से अनुशंसा सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

अतिरिक्त बिन्दु		पालन प्रतिवेदन
1	Clarification on the current status and usage of the 1.50 ha. road area earlier diverted by the Central Government.	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में माईनिंग क्षेत्र में पहुँचमार्ग हेतु 1.50 हे. वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 876 एवं आर.एफ. 642 में व्यपवर्तन हुआ था, किन्तु मिश्रित प्रजाति के 402 नग वृक्ष होने के कारण उस मार्ग को उपयोग नहीं किया गया जा रहा है।
2	Specifics regarding the 0.95 ha. now proposed for road construction, including the actual extent presently in the use and its purpose.	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा वर्तमान में वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 642 के कुल रकबा

		0.95 हे. क्षेत्र में लौह अयस्क का परिवहन हेतु उपयोग किया जा रहा है, जिसका वन व्यपवर्तन नवीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त मार्ग के उपयोग हेतु नियमानुसार वन मार्ग शुल्क जमा किया जा रहा है।
3	Whether the previously diverted 1.50 ha. forms part of the newly proposed 2.58 ha. or is separate.	नवीन प्रस्तावित मार्ग में पूर्व व्यपवर्तित मार्ग रकबा 1.50 हे. से पृथक है। वर्तमान में रकबा 2.58 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु लंबित है।
4	KML file of the 1.50 ha. road area already diverted.	पूर्व रकबा 1.50 हे. क्षेत्र सड़क निर्माण हेतु व्यपवर्तित किया गया था। के.एम.एल.फाईल संलग्न है।
5	For the proposal 1.62 ha. electricity line, details such as voltage, Right of Way (RoW), and the KML file.	आवेदक संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा रकबा 1.62 हे. क्षेत्र का के.एम.एल. फाईल तैयार कर 33 के.व्ही. विद्युत लाईन बाबत वन व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत विद्युत लाईन के लिये 2700 x 1.50 मीटर राईट ऑफ वे इंसुलेटेड केबल विद्युत लाईन विस्तार के लिये प्रस्तावित की गई है।

अतः प्रथम चरण स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कुल रकबा 2.58 हे. (0.95 हे. पहुंच मार्ग हेतु एवं 1.62 हे. ओवरहेड इलेक्ट्रीक लाईन हेतु) के स्थान पर पहुंच मार्ग हेतु 0.95 हे. एवं भूमिगत इंसुलेटेड विद्युत लाईन हेतु 0.405 हे. (2700 मी. x 1.5 मी) कुल रकबा 1.355 हे. के लिए प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त द्वारा प्रेषित उक्त जानकारी का नोडल कार्यालय द्वारा परीक्षण किया गया, जिसे भारत सरकार, उप कार्यालय नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

Digitally signed by
Sunil Kumar Mishra
Date: 07-08-2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू – प्रबंध/वन (सं एवं सं) अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-254/2044 13:33:07

रायपुर, दिनांक 07/08/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर, वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल, भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़।
3. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम बोरझारा, उरला गुमा रोड रायपुर, छ.ग.।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)



ccskanker3@gmail.com



(07868) 222014



(07868) 222472

क्रमांक/त.अ./न.क्र.78/2025/2420
प्रति,

कांकेर, दिनांक 25/6/2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय:-

Diversion of 2.58 ha. (For approach Road area 0.95 ha. and the Power lines Covers an area of 1.62 ha.) Forest land for non-forest Purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 Proposed for the Approach Road from Mines to Public Road and laying Power line in favour of M/s Shri. Bajrang Power & Ispat Ltd. village Dornhara, Guma Road, Urla Industrial Area, Raipur in East Bhanupratappur Forest Division, Kanker District in the State of Chhattisgarh-reg. Online Registration No. FP/CG/Approach/32947/2018

संदर्भ:-

1. आपका पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ खनिज/331-254/1357 दिनांक 28.5.2025

2. वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर के पत्र क्र./मा.चि./2025/5205 दिनांक 21.7.2025

—□—

विषयांतर्गत निवेदन है कि आवेदनकर्ता श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा जिला उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन भूमे में रकबा 2.58 हे. में पहुँच मार्ग एवं विद्युत लाईन विस्तार के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/FC-8/15/2024-IRO-RAIPUR/08 दिनांक 11.4.2025 द्वारा 05 बिन्दुओं पर चाही गई अतिरिक्त जानकारी वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर ने अपने संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के माध्यम से इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

अतिरिक्त बिन्दु	पालन प्रतिवेदन
1 Clarification on the current status and usage of the 1.50 ha. road area earlier diverted by the Central Government.	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में माईनिंग क्षेत्र में पहुँचमार्ग हेतु 1.50 हे. वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 8/6 एवं आर.एफ. 642 में व्यपवर्तन हुआ था, किन्तु निश्चित प्रजाति के 402 नग वृक्ष होने के कारण इस मार्ग को स्वरंग नहीं किया गया था रहा है।
2 Specifies regarding the 0.95 ha. now proposed for road construction, including the actual extent presently in the use and its purpose.	मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा वर्तमान में वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 642 के कुल रकबा 0.95 हे. क्षेत्र में लौह अयस्क का परिवहन हेतु उपयोग किया जा रहा है, जिसका वन व्यपवर्तन नवीन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित है। आवेदक संस्थान द्वारा उक्त मार्ग के उपयोग हेतु नियमानुसार वनमार्ग शुल्क जमा किया जा रहा है।
3 Whether the previously diverted 1.50 ha. forms part of the newly proposed 2.58 ha. or is separate.	नवीन प्रस्तावित मार्ग में पूर्व व्यपवर्तित मार्ग रकबा 1.50 हे. से पृथक है। वर्तमान में रकबा 2.58 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु लंबित है।

अतिरिक्त बिन्दु		पालन प्रतिवेदन
4	KML file of the 1.50 ha. road area already diverted.	पूर्व रकबा 1.50 हे. क्षेत्र सड़क निर्माण हेतु व्यपवर्तित किया गया था। के.एम.एल.फाईल संलग्न है।
5	For the proposal 1.62 ha. electricity line, details such as voltage, Right of Way (RoW), and the KML file.	आवेदक संस्थान मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड रायपुर द्वारा रकबा 1.62 हे. क्षेत्र का के.एम.एल. फाईल तैयार कर 33 के.व्ही. विद्युत लाईन बावत वन व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। आवेदक संस्थान द्वारा भूमिगत विद्युत लाईन के लिये 2700 x 1.50 मीटर राईट ऑफ वे इंसुलेटेड केबल विद्युत लाईन विस्तार के लिये प्रस्तावित की गई है।

अतः वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने की अनुशंसा की जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर

कांकेर, दिनांक 25/07/2025

पृ.क्रमांक/त.अ./न.क्र.78/2025/ 2421

प्रतिलिपि :-

1. वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल को उनके संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अग्रेषित।
2. मेसर्स श्री बजरंग पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम-बोरझारा, उरला-गुमा रोड, रायपुर छ.ग. को सूचनार्थ अग्रेषित।



मुख्य वन संरक्षक

कांकेर वृत्त, कांकेर